संख्या — / II–2006–03–(11)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग — देहरादून, दिनांक 17 जनवरी,2006

विषयः— **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत योजनाओं की वर्ष 2005–06 में प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल के पत्र सं0 3202/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 योजना दिनांक 03.09.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में ग्राम छलमाछिलासों, तन्तागोंवरातों एवं हिमखोला में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान योजनान्तर्गत 4.00 किमी0 लम्बी नहरों के निर्माण कार्यों की योजना"** रू0 27.93 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रू0 27.50 लाख (रूपये सताईस लाख पचास हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय के साथ–साथ उक्त लागत के विपरीत रू0 14.25 लाख (रूपये चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति भी निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही योजना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरें जो शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हैं की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः.....2

8– एक मुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भान्ति निरीक्षण उच्च अधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12– यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्राप्त हो।

13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपभोग कर कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें, 800–अन्य व्यय, 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान, –00– 24–बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– /XXVII (2)/2006 दिनांक जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–66/ II–2005–03–(11)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरॉचल शासन।
3– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी पिथौरागढ़, ।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी सिंचाई एवं ऊर्जा उत्तरांचल।
5– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
8– बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।